प्रबन्ध समिति जनता इन्टर कालेज एवं राष्ट्र निर्माण सहायक समिति जहाँगीराबाद (बुलन्दशहर) की बैठक दिनांक 17.8.86 के प्रस्ताव संख्या 7 के पैरा 4 की सत्यप्रति।

प्रबन्धक महोदय ने प्रस्ताव रखा कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जनता इन्टर कालेज की मान्यता हो चुकी है और शासन व प्रबन्ध समिति का दायित्व अलग-अलग निर्धारित किया गया है। प्रबन्ध समिति के दायित्व में भूमि एवं भवन की व्यवस्था तथा शासन के दायित्व में अन्य सभी आवर्तक व अनावर्तक व्यय वहन करना है चूँकि भवन का निर्माण होना है अतः जनता इन्टर कालेज के लिये ग्राम समाज [illegible] मोहम्मदपुर [illegible] ने जो भूमि के पट्टे कर दिये हैं के हस्तान्तरण का होना अति आवश्यक है। अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम समाज [illegible] मोहम्मदपुर तथा ग्राम समाज [illegible] से पट्टे पर प्राप्त भूमि जनता इन्टर कालेज जहाँगीराबाद के नाम तहसील द्वारा हस्तान्तरित करा दिया जावे। उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित सभी आवश्यक [illegible] कार्यवाही व प्रपत्र पूर्ण करने का [illegible] जनता इन्टर विद्यालय के [illegible] हेतु [illegible], आवश्यक [illegible] से। हस्तान्तरण के उपरान्त सम्बन्धित तहसील से प्राप्त सम्बन्धित [illegible] की प्रतियां जि. वि. नि., सचिवालय तथा परिषद को प्रेषित कर दी जावें

सत्य-प्रतिलिपि

[signature] 21/5

(विजय कुमार [illegible])

प्रबन्धक

जनता इन्टर कालेज

जहाँगीराबाद (बुलन्दशहर)

[signature]

21/5/87